| आदेश की क्र० सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|

23.03.15

## न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

जमाबंदी सुधार वाद संख्या–385 / 2013–14

रामप्रसाद विश्वकर्मा

बनाम

केदार यादव वगैरह

## आदेश

आवेदक श्री रामप्रसाद विश्वकर्मा, वल्द–स्व० जग्रनाथ मिस्त्री, साकिन–गुलाब बाग, थाना–बेतिया ने जमाबंदी संख्या–363 को पुर्नस्थापित करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। आवेदक के आवेदन पत्र को सुनवाई हेतु स्वीकृत किया गया। निम्न न्यायालय से अभिलेख की माँग की गई। विपक्षी को सुनवाई हेतु सूचना निर्गत की गई।

अंचल अधिकारी, बेतिया ने अपने पत्रांक 10 दिनांक 20.03.2015 द्वारा सूचित किया है कि नामांतरण वाद संख्या–318 / 91–92 की काफी खोजबीन की गई। लेकिन वह अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। साथ ही जमाबंदी संख्या–377 पर अंकित अंचल कार्यालय के ज्ञापांक 292 दिनांक 07.07.2003 की कार्यालय प्रति भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। उन्होंने दाखिल खारिज वाद संख्या–318 / 91–92 की पंजी–27 की छायाप्रति एवं जमाबंदी संख्या–363 एवं 377 की छायाप्रति को सत्यापित कर भेजा है। विपक्षी द्वारा प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है।

आवेदक का संक्षेप में केस निम्न प्रकार है :–

1. मौजा–पादुरी दुसैया, अंचल–बेतिया के खाता संख्या–49, खेसरा संख्या–199, रकबा 9 कट्ठा 13 धूर जमीन के मालिक फ्रेड्रिक जुलियस डेविड, वल्द–स्व० जुलियस डेविड थे, जो आवेदक को दिनांक 05.03.2013 को निबंधित पावर ऑफ अटर्नी लिख दिया, जिसके आधार पर उन्होंने आवेदन पत्र

23.3.15

दिया है।

2. उनका कहना है कि विभिन्न खाता, खेसरा की कुल जमीन 01 बिगहा 13 कट्ठा 13 धूर फ्रेड्रिक जुलियस डेविट की माँ मु० जोहाना ने निबंधित दस्तावेज संख्या–3224 दिनांक 17.05.1952 के द्वारा मु० फुलकेरा से खरीदा। जिस पर उनका खरीदगी के पश्चात् लगातार जोत आबाद एवं दखल कब्जा चलता आया।

3. मु० जोहाना ने सम्पूर्ण खरीदी एवं अन्य जमीन को अपने सभी पुत्र–पुत्रियों के बीच लिखित बँटवारा दिनांक 30.12.1981 के द्वारा आपस में बाँट दिया। इस बँटवारा में प्रश्नगत भूमि सहित कुल रकबा 02 बिगहा 06 कट्ठा 13 धूर जमीन फ्रेड्रिक जुलियस डेविड को हिस्से में प्राप्त हुई।

4. आवेदक का कहना है कि दाखिल खारिज वाद संख्या–318/91–12 के द्वारा 02 बिगहा 6 कट्ठा 13 धूर जमीन की जमाबंदी संख्या–363 फ्रेड्रिक जुलियस के नाम पर कायम हुआ, जिसका अद्यतन रसीद वे कटाते आ रहे है।

5. कुल रकबा 02 बिगहा 6 कट्ठा 13 धूर जमीन में से 01 बिगहा 17 कट्ठा जमीन फ्रेड्रिक जुलियस डेविड ने मदन लाल गुप्ता को बिक्री कर दिया, जिसका दाखिल खारिज वाद संख्या–109/94–95 से जमाबंदी संख्या–374 मदनलाल गुप्ता के नाम से कायम हुआ। यह जमांबदी फ्रेड्रिक जुलियस के नाम की जमाबंदी संख्या–363 से घटाकर कायम किया गया। शेष 09 कट्ठा 13 धूर जमीन का जमाबंदी संख्या–363 फ्रेड्रिक जुलियस डेविड के नाम पर चलता रहा है।

6. आवेदक का कहना है कि जब वे लगान रसीद कटाने अंचल कार्यालय, बेतिया गये तो पता चला कि यह जमाबंदी विपक्षी केदार यादव के नाम से कायम कर दी गई है। आवेदक ने जब सम्पूर्ण अभिलेख की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का प्रयास किया तो अंचल कार्यालय, बेतिया द्वारा देने से मना कर दिया

23-3-15

गया। लेकिन आवेदक ने इसकी जानकारी सूचना का अधिकार के माध्यम से प्राप्त किया तो मालूम हुआ कि अंचल कार्यालय, बेतिया ने ज्ञापांक 292 दिनांक 07.07.2003 द्वारा इस जमीन की जमाबंदी संख्या–377 केदार यादव के नाम से कायम कर दिया गया है, जबकि फ्रेड्रिक जुलियस डेविड ने विपक्षी केदार यादव को जमीन नहीं बेचा है।

7. आवेदक का कहना है कि जमाबंदी संख्या–377 को रद्द कर जमाबंदी संख्या–363 को मूल मालिक फ्रेड्रिक जुलियस डेविड के नाम पर पुर्नस्थापित किया जाय।

विपक्षी द्वारा प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है जो निम्नवत है :–

1. उनका कहना है कि आवेदक ने पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर आवेदन पत्र दिया है, जो सही नही है।
2. विपक्षी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन ग्राम–पादुरी दुसैया, अंचल–बेतिया, खाता संख्या–49, खेसरा संख्या–199 कुल रकबा 19 कट्ठा 6 धूर से संबंधित है। इस जमीन के साथ अन्य जमीन सर्वे खतियान में तबियानो साह के नाम से दर्ज है।
3. तबियानो साह अपनी दो लड़कियों 1. सुजाना उर्फ जोहाना, एवं 2. रौशन दौला को छोड़कर कर मर गए। ये दोनों अपने पिता के मृत्यु के पश्चात् प्रश्नगत जमीन के साथ अन्य जमीन पर दाखिल काबिज हुई। बाद में दोनों में आपस में बँटवारा हो गया, जिसके आधार पर खेसरा संख्या–199 रकबा–09 कट्ठा 13 धूर के साथ अन्य जमीन रौशन दौला को मिली।
4. विपक्षी का कहना है कि रौशन दौला अपने एक मात्र पुत्र जॉन लौरेंस को छोड़कर मर गए। इस तरह जॉन लौरेंस अपनी माँ रौशन दौला के उत्तराधिकारी हुए एवं प्रश्नगत जमीन पर उनका दखल कब्जा हुआ।
5. जॉन लौरेंस ने प्रश्नगत खाता संख्या–49, खेसरा संख्या–199,

23-7-15

रकबा 09 कट्ठा 13 धूर जमीन तीन निबंधित दस्तावेजों से दिनांक 06.03.1993 को विपक्षी केदार यादव को विक्री कर दिया। केदार यादव ने अंचल अधिकारी, बेतिया को उस जमीन पर दाखिल खारिज करने हेतु आवेदन पत्र दिया। जिसके आधार पर अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज वाद संख्या–275बी०/93–94 प्रारम्भ कर इग्नेंशस जुलियस डेविड एवं फ्रेड्रिक जुलियस डेविड को नोटिस दिया, जो न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति पत्र दिये कि केदार यादव गलत व्यक्ति से जमीन खरीद कर दाखिल खारिज करने हेतु आवेदन पत्र दिये है।

6. अंचल अधिकारी, बेतिया ने स्वयं स्थल निरीक्षण कर प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी का ही दखल कब्जा पाकर दिनांक 14.02.1994 को विपक्षी के नाम से दाखिल खारिज स्वीकृत किया, जिसके आधार पर विपक्षी केदार यादव के नाम से जमाबंदी संख्या–377 कायम हुआ। प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी ने अपना दखल कब्जा बतलाया है।

7. विपक्षी का कहना है कि फ्रेड्रिक जुलियस डेविड ने प्रश्नगत जमीन के संबंध में कोई पावर ऑफ अटर्नी नहीं लिखा है। यह भी कहा गया है कि दिनांक 17.04.1992 को जोहना ने प्रश्नगत जमीन फुलकेरा से प्राप्त किया है, जो बिलकुल गलत है, क्योंकि फुलकेरा खतियान रैयत से संबंधित नहीं है। विपक्षी का यह भी कहना है कि आवेदक द्वारा 30.12.1981 को जिस बँटवारा की बात कहा गया है, वह फर्जी है। विपक्षी ने आवेदक के आवेदन पत्र को खारिज करने का अनुरोध किया है।

आवेदक द्वारा निम्नांकित कागजात दाखिल किया गया है:–

1. सूचना के अधिकार के अर्न्तगत प्राप्त सूचना।
2. सामान्य अधिकार पत्र दस्तावेज की छायाप्रति जो फ्रेड्रिक जुलियस डेविड ने श्री रामप्रसाद विश्वकर्मा को लिखा है।

23.3.15

3. मु० फुलकेरा द्वारा मु० जोहना को लिखे गये दस्तावेज की छायाप्रति, जिसमें प्रश्नगत खाता संख्या–49, खेसरा संख्या–199 रकबा 19 कट्ठा 06 धूर जमीन शामिल है।

4. फ्रेड्रिक जे० डेविड के नाम से 02 बिगहा 06 कट्ठा 13 धूर जमीन की निर्गत लगान रसीद की छायाप्रति जिसमें जमाबंदी संख्या–363 अंकित है।

विपक्षी द्वारा निम्नांकित कागजात दाखिल किया गया है:–

1. खाता संख्या–49 के कर्मिक खतियान की सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति।

2. जॉन लौरेंस द्वारा विपक्षी केदार यादव को लिखे गये दस्तावेज संख्या–2594, 2595, 2596 दिनांक 06.03.1993 की छायाप्रति।

3. दाखिल खारिज वाद संख्या–275बी०/93–94 की सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति।

4. केदार यादव के नाम से 09 कट्ठा 13 धूर जमीन का निर्गत लगान रसीद की छायाप्रति, जिसमें जमाबंदी संख्या–377 अंकित है।

दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सूना गया एवं अंचल अधिकारी, बेतिया से प्राप्त प्रतिवेदन एवं उपलब्ध कराये गये दाखिल खारिज पंजी–27 की प्रति एवं जमाबंदी पंजी की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। सूचना के अधिकार के अर्न्तगत आवेदक को अंचल कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अधिकार के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जमाबंदी संख्या–363 बनाम फ्रेड्रिक जे० डेविड, वल्द–स्व० जुलियस के नाम रकबा 02 बिगहा 06 कट्ठा 13 धूर जमीन दाखिल खारिज वाद संख्या–318/90–91 द्वारा स्वीकृत होकर सृजन की गई है, जिसमें डॉ० मदन लाल गुप्ता के नाम से 01 बिगहा 17 कट्ठा जमीन का जमाबंदी संख्या–374 कायम किया गया है एवं केदार यादव के नाम से 09 कट्ठा 13 धूर जमीन का जमाबंदी संख्या–377 कायम किया गया है, जो अंचल कार्यालय के ज्ञापांक 292 दिनांक 07.07.2003 के द्वारा जमाबंदी संख्या–363 से कमी कर जमाबंदी कायम किया गया है।

आवेदक दस्तावेज संख्या–3214 दिनांक 17.05.1952 के आधार पर अपना दावा कर रहा है और कहा है कि बँटवारा से प्राप्त 02 बिगहा 06 कट्ठा 13 धूर जो जमीन का दाखिल खारिज होकर फ्रेड्रिक जुलियस डेविड के नाम से जमाबंदी संख्या–363 कायम हुआ। इस जमीन में से 01 बिगहा 17 कट्ठा जमीन जमाबंदीदार ने डॉ० मदनलाल गुप्ता को लिख दिया, जिसका जमाबंदी संख्या–374 फ्रेड्रिक जुलियस डेविड के नाम की जमाबंदी संख्या–363 से घटकर

23-7-15

कायम किया गया है। अब जमाबंदी संख्या–363 में 09 कट्ठा 13 धूर जमीन बची। लेकिन विपक्षी ने वर्ष 1993 के दस्तावेज के आधार पर जमाबंदी संख्या–377 कायम करा लिया है, जो जमाबंदी संख्या–363 से घटाकर कायम किया गया है। आवेदक का दावा वर्ष 1952 के दास्तावेज के आधार पर है, जबकि विपक्षी का दावा वर्ष 1993 के दस्तावेज के आधार पर है। अंचल कार्यालय में नामांतरण वाद संख्या–318/91–92 उपलब्ध नहीं है। साथ ही जमाबंदी संख्या–377 पर अंकित अंचल कार्यालय का ज्ञापांक 292 दिनांक 07.07.2003 की कार्यालय प्रति अंचल में उपलब्ध नहीं है।

आवेदक वर्ष 1952 के दास्तावेज के आधार पर जबकि विपक्षी 1993 के दास्तावेजों के आधार जमाबन्दी कायम का दावा कर रहे है। स्पष्ट रूप से यह मामला जमाबन्दी सुधार से संबंधित नहीं है, बल्कि दास्तावेजों के वैधता के संबंध में है, जिसपर निर्णय लेने हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है। इसके लिए दोनों पक्ष अगर चाहे तो सक्षम न्यायालय में स्वत्व वाद दायर कर उचित आदेश प्राप्त कर सकते है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, बेतिया को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

23.3.15

अपर समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

23.3.15

अपर समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।